



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-अनूपपुर R-3072-II/14

रोहणी दास पुत्र स्व. श्री देवीदीन चौधरी
निवासी लोहसरा थाना बिजुरी, तहसील
कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री. श्री. चतुर्वेदी ए. वि.
द्वारा आज दि. 12-9-14 को
प्रस्तुत

विकास
कलेक्टर अफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
12-9-14

विरुद्ध

- 1- रामरतन पुत्र श्री जोहना चौधरी
- 2- मझलू पुत्र श्री जोहना चौधरी
- 3- बीरन पुत्र श्री लोधा चमार
- 4- बिहनिया पुत्र श्री लोधा चमार
- 5- सोनई पुत्र श्री बलदीन चमार
- 6- बरनू पुत्र श्री गुरदीन चमार
- 7- सेमलाल पुत्र श्री बलदीन चमार
- 8- प्रेमा पुत्र श्री जयनाथ चमार
- 9- चोखा पुत्र श्री शिवरतन चमार निवासीगण
गोहरी, थाना बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला
अनूपपुर (म.प्र.)
- 10- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार कोतमा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-3/ 2011-12 में
पारित आदेश दिनांक 23.12.2011 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान
हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम लोहसरा में स्थित भूमि खसरा नं.
322/1ख, 322/1घ, 322/1ग, 322/1ट, 322/1ठ, 322/1ण, 323/4 323/5
326/6, 323/7, 324/2, 324/4, 324/8, 323/9, 324/11, 324/13,
324/14, हैक्ट्यर भूमि का नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत
किया जिसमें सरहदी कास्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही
तहसीलदार कोतमा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये
जाने योग्य है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3072-दो/2014

जिला अनूपपुर

रोहिणीदास विरूद्ध रामरतन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जेन) सदस्य 01/3/19</p>